

Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
 NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
 (A constitution body set up under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Tour Report/ (Chairperson)/MP/3/2021-ESDW

6th Floor, Loknayak Bhawan,
 Khan Market, New Delhi-03,
 Dated: 26.11.2021

To,

- | | |
|---|--|
| <p>1. The Principal Secretary,
 Tribal Development Department,
 Government of Madhya Pradesh,
 Mantrayala, Vallabh Bhawan,
 Bhopal-462004</p> | <p>2. The Director,
 Tribal Research & Development Institute
 Government of Madhya Pradesh,
 35, Shyamala Hills.
 Bhopal-462 002</p> |
| <p>3. The District Collector,
 Collectorate office,,
 A-Block, Old Secretariat.
 Bhopal-462001
 Madhya Pradesh</p> | |

Sub: Tour Report of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST of visit to the State of Madhya Pradesh from 24.06.2021 to 26.06.2021.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour report of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST of visit to the State of Madhya Pradesh from 24.06.2021 to 26.06.2021 for ready reference.

2. It is requested that necessary action may be taken on the points raised/recommendations in the Tour report and furnish the report to the Commission at the earliest.

Yours faithfully,

(R.K. DUBEY)
 Deputy Director

6321-23
 26/11/21
 जारी किया
 ISSUED

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

24 जून 2021 से 26 जून 2021 भोपाल, मध्य प्रदेश

TOUR REPORT

I. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार अभिनव प्रकाश, सहायक निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
II. दौरा के तिथि, दिन, दिनांक, वर्ष	दिनांक 24 जून 2021 (गुरुवार) से दिनांक 26 जून 2021 तक (शनिवार)
III. दौरा किए गए स्थान	भोपाल, मध्य प्रदेश
IV. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले	निम्नानुसार

Harsh Chohan
10/8/2021

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक : 24 /6 /2021

1. अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया

मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले		
क्र सं	नाम	पद / संगठन
1	श्री गजेंद्र पटेल	मान सांसद
2	श्री सुमेर सिंह सोलंकी	मान सांसद
3	श्रीमती सम्पतिया उइके	मान सांसद
4	श्री कुंवर सिंह टेकाम	मान विधायक
5	श्रीमती नंदनी मरावी	मान विधायक
6	श्री राम डंगोरे	मान विधायक

बैठक में मध्य प्रदेश में जनजाति समाज की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने जनजाति समाज की स्थिति के बारे में अवगत कराया। विकास के संभावित प्रारूपों पर चर्चा हुई।

दिनांक : 25 /6 /2021

2. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक
बैठक में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकार के विभाग तथा जनजाति समाज के सदस्यों ने सहभागिता की। बैठक का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है।

3. क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों की बैठक ली

मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले		
क्र सं	नाम	पद / संगठन
1	सुश्री दीपिका खन्ना	अनुसन्धान अधिकारी
2	श्री पी सी मांगरिया	सलाहकार
3	श्री हरप्रसाद रायकवार	अवर श्रेणी लिपिक

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विशेष परिस्थितियों के कारण 26 जून को प्रस्तावित बैठक 25 जून को की गयी। बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की। कार्यालय की कार्यक्षमता की गुणवत्ता पर मुझे जानकारी दी गयी साथ ही कार्यालय किस प्रकार से जनजाति समाज के कार्यों के बारे में आवश्यक कार्यवाही करता है इस पर बात हुई।

4. बैठक: जनजाति कार्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश

मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले		
क्र सं	नाम	पद / संगठन
1	डॉ पल्लवी जैन गोविल	प्रधान सचिव, जनजातीय कार्य विभाग,
2	श्री संजीव सिंह	आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग,
3	सुश्री शैलबाला मार्टिन	निदेशक , जनजाति क्षेत्र विकास परियोजना
4	श्री के जी तिवारी	अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
5	सुश्री नीति राज सिंह	संयुक्त निदेशक , TRI
6	सुश्री रीता सिंह	उप आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
7	श्री ए के पबैया -	सहायक आयुक्त

बैठक में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा जनजाति समाज के लिए की जा रही कार्य की समीक्षा की। वन अधिकार अधिनियम तथा विशेषकर व्यक्तिगत वनाधिकार पर चर्चा हुई। बैठक में विभाग द्वारा जनजाति समाज के दावे के निस्तारण के लिए किये जा रहे प्रयासों पर प्रधान सचिव को जानकारी दी।

Harsh Chouhan
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
 अध्यक्ष/Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक का प्रतिवेदन
दिनांक 25 जून 2021

1. बैठक करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान श्री अभिनव प्रकाश सहायक निजी सचिव (माननीय अध्यक्ष के) सुश्री दीपिका खन्ना अनुसंधान अधिकारी श्री पी.सी मांगरिया सलाहकार श्री हरप्रसाद रायकवार अवर श्रेणी लिपिक
2. बैठक की तिथि	दिनांक 25 जून 2021
3. बैठक का स्थान	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)
4. मुख्य अधिकारीगण/संगठनों/व्यक्तियों से मिले	निम्नानुसार
i.	श्री सुधीर श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.)
ii.	श्री दिनेश खसारिया, एस.बी.आई. एस.सी/एस.टी एम्पलॉई वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल (म.प्र.)
iii.	श्री अरविन्द कुमार कतरौलिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार स्वतंत्र न्याय, भोपाल (म.प्र.)
iv.	श्री जितेन्द्र खोब्रागडे, ट्रेकमेन, ट्रालीमेन, गेटमेन, इंजी. सगठन द.प.म. रेल्वे, नागपुर
v.	श्री चेताराम हरसन, सूर्यवंशी समाज, भोपाल (म.प्र.)
vi.	श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, सूर्यवंशी समाज, भोपाल (म.प्र.)
vii.	श्री दिलीप कुमार झारिया, भेल अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल (म.प्र.)
viii.	श्री एस.के. खांडेकर, भेल अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल (म.प्र.)
ix.	श्री राकेश कुमार मेहरा, SC, ST, OBC & Minority Association BHEL, भोपाल (म.प्र.)
x.	श्री एम.के. मंडराई, SC/ST Association BHEL, भोपाल (म.प्र.)
xi.	डॉ. लक्ष्मी कुमरे, सहायक प्राध्यापक, मेनिट (MANIT), भोपाल (म.प्र.)
xii.	श्री शरद सिंह कुमरे, पर्यावरण बचाओ अभियान, भोपाल (म.प्र.)

xiii.	श्री महेन्द्र कुमार भगत, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल (म.प्र.)
xiv.	श्री राकेश बाथम, मॉडर्न समाज, भोपाल (म.प्र.)
xv.	श्री जयपाल सिंह, आदिम समुदाय एम्प्लॉयज एसोसिएशन, भोपाल (म.प्र.)
xvi.	श्री राकेश कुमार, माझी जनजाति खा.वि.क. समिति, भोपाल (म.प्र.)
xvii.	श्री के.पी. रायकवार, माझी जनजाति खा.वि.क. समिति, भोपाल (म.प्र.)
xviii.	श्री टीकाराम रायकवार, माझी जनजाति खा.वि.क. समिति, भोपाल (म.प्र.)
xix.	श्री रज्जू लाल रायकवार, माझी जनजाति खा.वि.क. समिति, भोपाल (म.प्र.)
xx.	श्री मनोज मदेल, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल (म.प्र.)
xxi.	श्री रामकरण वर्मा, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल (म.प्र.)
xxii.	श्री दिलीप कुमार अखण्ड, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल (म.प्र.)
xxiii.	श्री भीम धुर्वे, आदिम समुदाय वेलफेयर एसोसिएशन बी.एच.ई.एल., भोपाल (म.प्र.)
xxiv.	श्री राजेश मंगवाने, एस.सी/एस.टी. फेडरेशन, भोपाल (म.प्र.)
xxv.	श्री आर.एस. भगत, उराव सरना आदि. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, भोपाल (म.प्र.)
xxvi.	श्री बानेश्वर भगत, उराव सरना आदि. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, भोपाल (म.प्र.)
xxvii.	श्री सुरेश भगत, उराव सरना आदि. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, भोपाल (म.प्र.)
xxviii.	श्री कड़वाजी मण्डलौई, जनशक्ति मजदूर सभा, भोपाल (म.प्र.)
xxix.	डॉ. जे.एस. सूर्यवंशी, अजाक्स, भोपाल (म.प्र.)
xxx.	सुश्री भानवी चिचाम, होशंगाबाद (म.प्र.)
xxxii.	श्री शिवदीन धुर्वे, आदिवासी विकास परिषद, भीमपूर, बैतूल (म.प्र.)
xxxiii.	श्री शंभुदयाल धुर्वे, जयस, संगठन, भीमपूर, बैतूल (म.प्र.)
xxxiii.	श्री पतिराम पान्से, सदस्य
xxxiv.	श्री धन्नु धुर्वे, पूर्व सरपंच
xxxv.	श्री चेपा करोचे, सरपंच
xxxvi.	श्री गोपाल कारदे, सरपंच
xxxvi.	श्री प्रतापसिंग उईके, पंच



5. बैठक के मुख्य बिंदु :

अ. अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सामाजिक/कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुनना एवं भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय में आयोग के कार्यों की जानकारी लेना।

6. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभागृह में दिनांक 25-06-2021 को ली गई बैठक का विवरण :-

कर्मचारी/सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा की शिकायत	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान
<p>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभागृह में दिनांक 25-06-2021 को भोपाल के विभिन्न कर्मचारी/सामाजिक संगठनों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान श्री दिनेश खसारिया, एस.बी.आई. एस.सी/एस.टी एम्पलॉई वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल (म.प्र.) द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में कई वर्षों से रिट्यू नहीं किया गया। बैंक द्वारा कर्मचारी संगठन को बैंक परिसर में कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध नहीं कराती है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रधान कार्यालय खोलने के लिये भी कई बार अभ्यावेदन दिये गये हैं, लेकिन इस मांग को बैंक प्रबंधन द्वारा दबा दिया जाता है। संगठन ने मांग है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के खाली पदों पर भर्ती के लिये विशेष अभियान चलाकर भर्ती की जानी चाहिए। सी.एस.आर. फण्ड की राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान में व्यय नहीं हो रही है। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लोगों को बैंक ऋण देने में अड़चन पैदा करती है।</p>	<p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी द्वारा कहा गया कि भविष्य में बैंक की उक्त कमियों के संबंध में बैंक का रिट्यू कर निराकरण करेंगे।</p>
<p>श्री एम.के. मंडराई, SC/ST Association BHEL, भोपाल (म.प्र.) द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि BHEL में सेवानिवृत्त पदों पर नई भर्ती नहीं की जा रही है। BHEL क्षेत्र में खाली पडी जगह पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को उक्त जगह उपलब्ध कराई जाये, जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकें। विगत कई वर्षों से भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, भोपाल में मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुकम्पा नियुक्त प्रदान नहीं की गई है कोरोना माहमारी से अपनी जान गवा देने वाले अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों को बी.एच.ई.एल. द्वारा शीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की संगठन ने मांग रखी। BHEL, भोपाल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कई वर्षों से पदोन्नति नहीं दी गई है। BHEL,</p>	<p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी द्वारा कहा गया कि आपकी समस्याओं पर विचार कर उचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन की विभिन्न समस्याओं को आयोग में भेजें।</p>

<p>भोपाल परिसर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा गालीगलौच एवं अपमानित किया जाता है। इस सम्बंध में BHEL प्रबंधन कोई कार्यवाही नहीं करता है। BHEL में खाली पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती की जाये। BHEL परिसर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित करने हेतु स्थान की मांग की गई।</p> <p>संगठन द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी की टीकमगढ़ स्थित भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।</p>	
<p>राष्ट्रीय टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में 100 से अधिक पदों की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किये जाने के सम्बंध में श्री शरद सिंह कुमरे द्वारा अभ्यावेदन दिया गया।</p> <p>पर्यावरण बचाओ अभियान के श्री शरद सिंह कुमरे ने बताया कि भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन नये पेड़ लगाने पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत नये पेड़ लगाने हेतु स्थान व राशि उपलब्ध कराई जाये।</p>	<p>प्रकरण पर आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है।</p> <p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा किया जा रहा कार्य जनहित में है। इसके सम्बंध में आप अपना अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत करें।</p>
<p>मांझी जनजाति सामाजिक विकास कल्याण समिति भोपाल, अध्यक्ष, श्री राकेश बाथम ने बताया कि मांझी जाति, ढीमर, कहार, भोई, केवट, भल्लाह, निषाद की उप जाति है। मांझी जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाकर हमें आरक्षण का लाभ दिलाया जाये।</p>	<p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि आप अपना अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत करें।</p>
<p>जनशक्ति मजदूर सभा, राष्ट्रीय सचिव, श्री कडवाजी मण्डलोई ने बताया कि मेडिकल क्षेत्र में खाली पड़े पदों पर विशेष अभियान के तहत भर्ती की जाये। जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सके।</p>	<p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि आप अपना अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत करें।</p>
<p>श्री शिवदीन धुर्वे, आदिवासी विकास परिषद, भीमपूर, बैतूल (म.प्र.) द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि ताप्ती नदी पर बन रहे ताप्ती चिल्लौर (वृहद्ध) परियोजना के बनने से आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लगभग 16 गांव प्रभावित होंगे। उक्त गांव पांचवी अनुसूची के गांव है एवं उक्त क्षेत्र की समस्त पंचायतों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि यह</p>	<p>माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि आपके प्रकरण पर आयोग में कार्यवाही की जा रही है।</p>

परियोजना क्षेत्र के हित में नहीं है। इसलिए उक्त परियोजना को रद्द किया जाये।	
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, डॉ. जगदीश सूर्यवंशी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में साक्षात्कार के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भर्ती कर ली जाती है, उक्त भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में रिक्त पड़े पदों पर बैंकलॉग के माध्यम से अनुसूचित जाति - जनजाति वर्ग के लोगों को भर्ती कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाये।	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि आपका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आयोग उक्त मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
सुश्री भानवी चिचाम, होशंगाबाद (म.प्र.) द्वारा आयोग को बताया गया कि मेरे पिता स्व. श्री सुरेश चिचाम की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक पेंशन व अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है। जबकि उनके द्वारा पेंशन के ऑप्शन दिया गया था जिसे प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद प्रबंधन ने अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदिका के पिता की मृत्यु के पश्चात माताजी की भी मृत्यु हो गई जिससे आवेदिका व उसका भाई अनाथ हो गये है।	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि प्रकरण के सम्बंध में कारखाना प्रबंधन से पत्राचार कर शीघ्र बैठक ली जायेगी।
डॉ. लक्ष्मी कुमरे, सहायक प्राध्यापक, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल द्वारा बताया गया कि उनकी भर्ती के पश्चात उन्हें आज दिनांक तक पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है। संस्थान में आरक्षण के नियमों पालन नहीं किया जाता है। खाली पदों पर नई भर्ती भी नहीं की जा रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाया जाता है। आयोग मुख्यालय में आवेदिका के प्रकरण पर एक सुनवाई की गई है। आयोग द्वारा पुनः सुनवाई की जाए ताकि आवेदिका को नियमानुसार पदोन्नति मिल सके।	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि आपका प्रकरण आयोग मुख्यालय में प्रचलित है। नियमानुसार पुनः सिटिंग करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
श्री जितेन्द्र खोब्रागडे, ट्रेकमेन, ट्रालीमेन, गेटमेन, इंजी. सगठन द.प.म. रेल्वे, नागपुर द्वारा बताया गया कि दक्षिण पश्चिम रेल्वे में अनुसूचित जनजाति के केजूअल लेबर जिन्होंने वर्ष 1987 से 1992 तक केजूअल लेबर के पद पर कार्य किया था। उन्हें स्थाई नियुक्ति प्रदान नहीं की गई जबकि 13 केजूअल लेबर में से 10 को स्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी गई। उक्त प्रकरण के सम्बंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की	माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी द्वार प्रकरण पर पुनः कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

माननीय पूर्व सदस्या श्रीमती माया चिंतामण इवनाते द्वारा प्रकरण के सम्बंध में दिनांक 17-10-2018 को रवि भवन, नागपुर के सभागृह में बैठक ली गई थी। जिसमें आयोग द्वारा रेल्वे प्रबंधक को निर्देशित किया गया था कि तीनों आवेदकों के दस्तावेजों के आधार पर उनका आमेलन किया जाये। प्रबंधन द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

Harsh Chouhan
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi